मूल याद में अन्तिम डिक्री
बमुकद्दमे में ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

तीन अधिकारी :– जय कौशिक (आर.ए.एस.)
रण संख्या :– 36/2020
: पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

रामप्रताप पुत्र गोपीराम (मृत)
1–सुरजमुखी पत्नी स्व. रामप्रताप
2–विनोदकुमार पुत्र स्व. रामप्रताप
3–वेदप्रकाश पुत्र स्व. रामप्रताप
सन्दीप पुत्र जगदीश जाति जाट साकिन नुकेरा तहसील संगरिया

जाति जाट साकिनान नुकेरा
तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

–वादीगण–

बनाम

रानी उर्फ पुष्पारानी पुत्री जगदीश पत्नी मनोजकुमार जाति जाट साकिन नुकेरा हाल आबाद वार्ड नं.14 मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
शालू पुत्री जगदीश पत्नी सुनीलकुमार जाति जाट साकिन नुकेरा हाल आबाद वार्ड नं.1 चन्दूरवाली 9 एफ. टी.पी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़(राजस्थान)।
सावित्री पत्नी पृथ्वीराज जाति जाट साकिन नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
रविन्द
योगेश
पिसरान पृथ्वीराज
जाति जाट साकिन नुकेरा तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
आर.एम.जी.बी.बैंक शाखा नुकेरा,जरिए मैनेजर।
एस.बी.आई. बैंक शाखा संगरिया,जरिए मैनेजर।
तहसीलदार राजस्व संगरिया।
मुन्नीदेवी पुत्री पृथ्वीराम जाति जाट निवासी नुकेरा।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :– 23.6.2020

यह राजस्व मुकद्दमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे वहाजरी श्री ओमप्रकाश शर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री नवरत्न स्वामी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:–

क्र. सं.	नाम काशतकार मय वल्दियत एवं सकूनात	चक का नाम खातों का विवरण	वर्तमान में कब्जा काश्त अनुसार काश्तकार का नाम	कब्जा काश्त अनुसार रकबा
1	1 योगेश 0.607 हि. राहिन एचडीएफसी बैंक लि. शाखा संगरिया 2 रविन्द्र 0.607 हि. राहिन आरएमजीवी शाखा नुकेरा पि. पृथ्वीराज 3 रानी देवी 0.051 हि. 4 शालु 0.051 हि. पि. कलावती देवी 5 वेदप्रकाश 0.202 हि. 6 विनोद कुमार 0.202 हि. पि. रामप्रताप 7 सुरजमुखी पत्नि रामप्रताप 0.202 हि. 8 सन्दीप पुत्र जगदीश 0.506 हि. जाति जाट निवासी नुकेरा	प.मं. 2 आईडीजी के चक 5 केएसडी का खाता सं. 57/5 खाते का योग 2.428 हेव. (उक्त खाता विवादित श्रेणी का नही है।)	विनोद कुमार वेदप्रकाश पि. रामप्रताप .सुरजमुखी पत्नि रामप्रताप वहिव 1/2 हि. सन्दीप पुत्र जगदीश 1/2 हि. जाति जाट निवासी नुकेरा	प.न. 161/122 मु.न. 18 का कि.न. 14/1/0.025, 14/2/0.012 गै. मु. रास्ता, 17/1/0.133 मिन, 17/2/0.025 गै.मु. रास्ता 24/0. 253 प.न. 161/123 मु.न. 33 का कि.न. 4,7,14/0.759 कुल–1.207 हेव.
			योगेश पुत्र पृथ्वीराज राहिन एचडीएफसी बैंक लि. शाखा संगरिया रविन्द्र पुत्र पृथ्वीराज राहिन आरएमजीवी शाखा नुकेरा पि. पृथ्वीराज जाति जाट निवासी नुकेरा	प.न. 161/122 मु.न. 18 का कि.न. 16/1/0.089, 16/2/0.038 गै. मु. रास्ता, 17/1/0.069 मिन, 17/2/0.013 गै.मु. रास्ता 25/0. 253 प.न. 161/123 मु.न. 33 का कि.न. 5,6,15/0.759 कुल–1.221 हेव.

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/670 दिनांक 05.03.2025 द्वारा त विभाजित प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

नोट:- यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज....मुब्लिक....बाबत....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की ारीख से तारीख वसूलयाबी तक....को अदा करे।

बसव्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 23.6.2025 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया